



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in

वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1209 / अका. / APEB / 2024

दुर्ग, दिनांक : 24/01/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(Vi) के अंतर्गत माननीय कुलाधिपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में निम्नानुसार सदस्यों को मनोनीत किया गया है :-

1. श्री अशोक चौधरी, ममता नगर, वार्ड-18, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
2. श्री अनिल बल्लेवार, संचालक, आंध्रा खादी भण्डार, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की कार्यावधि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(3) में उल्लेखित प्रावधानानुसार रहेगी जो कि अधिसूचना जारी दिनांक से 03 वर्ष तक होगी।

कुलसचिव

क्र. 1210 / अका. / APEB / 2024

दुर्ग, दिनांक : 24/01/2024

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. विशेष सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
6. कुलपति महोदय के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. सम्पादक, समस्त स्थानीय समाचार पत्रों की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करेंगे।

सहायक कुलसचिव (अका.)